

## कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर

### कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—१/१२१०२/शा०शि०ग्रेड गा/सी.भ./२०१३—१६ दिनांक २८.०३.२०१७ के द्वारा मण्डल आवंटित अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित देतनामान) नियम—२००८ के अनुसार पी.बी.२(९३००—३४८००) ग्रेड पे—४२०० के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के रामुख अंकित रथान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड गा के स्थित पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ१(१२)डीओपी/ए—गा/२००५ दिनांक २०.०१.२००६ एवं एफ१२(०६)एफडी(नियम)/२००५ दिनांक १३.०३.२००६ के प्रावधानानुसार दियमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.४(१)कार्मिक/क-२/२००३ दिनांक ०९.०६.२००३ के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन राख्या—१५७२१/२०१५ गणेशनारायण माली व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित संयुक्त आदेश दिनांक ०७.०१.२०१६ के विरुद्ध आयोग/विभाग द्वारा दायर डी.बी. सिविल याचिका तथा एतदविषयक विगिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

१.इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलानकर उसकी एक—एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें।

२.नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्षण प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

३.नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित जिला पुलिस—अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण कराया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

४.कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ१(१२)डीओपी/ए—२/९५ दिनांक ०८.०४.२००३ के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक ०१.०६.२००२ को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या ०२ से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शापथ पत्र निर्धारित प्रारूप में १०/-रुपये के नौनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

५.राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शैष है। अतः जिन अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से १०/-रुपये के नौनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शापथ पत्र प्राप्त करेंगे।

६.कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शापथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

७.विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का १०/-रु. के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शापथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।

८.संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।

९.अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न बिन्दुओं की जांच किये जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें :—

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से ६ माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें।

(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चांचित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वह मान्य नहीं है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30/04/2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश रहतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किरी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त यीजा सकती हैं।

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम ,पिता का नाम मय स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	617a	BC WE	चंबल कुमारी / वृज राज सिंह मु०प०० बहौदा, मोहल्ला -इन्दू तहो डीग जिला भरतपुर	01-07-७९	GENF	राजमावि नगर, भरतपुर
2	715	BC WE	रितू रीनी / रामपाल सैनी 20 शक्ति मार्केट न्यू अनंग मण्डी रोड आलनपुर , स०मा०	05-08-९०	OBCF	राजमावि फलोदीवयारी, खण्डार (स०मा०)
3	34	BC	अरविंद कुमार पटेल / छेदी लाल मकान न० एस-१९ / १३३-२के अद्वीद बाजार , नैदेसर बादामी (उत्तर प्रदेश )	01-08-८७	GENM	राजमावि रूपवास, भरतपुर
4	515	BC	विरगा राम माली / लुम्बाराम मु०प०० विराई तह० व प००३० बावडी जिला जोधपुर	12-12-८७	OBCM	राजमावि न्यामदपुर, वैर (भरतपुर)
5	517	BC	मिर्जा कारुक वैग / मिर्जा वहीद वैग अशोक विहार कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पटियाला बाग, धौलपुर	09-07-८०	OBCM	राजमावि पुरानीछाबनी, धौलपुर
6	522	BC	राजकुमार घोषी / नारुराम घोषी ढाणी सागर ग्रन पो. खेजरोली तह० चोगू जिला जयपुर	25-12-८२	OBCM	राजमावि खण्डीप, गंगापुरसिटी (स०मा०)
7	524	BC	मनीष मिरोक / रामस्वरूप मीपीओ माकसर 13 एफएफ तह० श्री करनपुर जिला श्री गंगानगर	20-07-८७	OBCM	राजमावि सायपुर, करौली
8	530a	BC	ओमप्रकाश / मनफूल राम माम -मान्दुपास, पो० नरसिंपुरा पाथा गणेशगढ़, तह०पदमपुर जिला श्री गंगानगर	11-09-७४	OBCM	राजमावि बंरीपहाडपुर, रूपवास (भरतपुर)
9	1021	BC EX	राजदीप सिंह / शेर सिंह गाय नगला मुजा पो० अखबाई (अकोला) जिला -आगरा ,उत्तरप्रदेश	15-07-७४	GENM	राजमावि मांगरोल, धौलपुर
10	1033	BC EX	घनेवर रिंह यादव / फूल सिंह यादव नजादीक प्रकाश धर्मकांठा अलवर रोड, पो० बहरोड जिला -अलवर	10-07-६५	OBCM	राजमावि जारगा, बसेडी(धौलपुर)

( गणेश कुमार धाकरे )  
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक:-उनिगाँशि / भरत / माध्य / संस्था-१ / फो-नि०व०शा०शि० / 2017 /  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित है:-

30 दिनांक-17-04-2017

- 1.शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 2.शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-२) / कार्मिक (ग्रुप-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य / संस्था / एफ-१ / १२१०२ /  
शा०शि०ग्रेड आ / सी.भ. / २०१३-१६ दिनांक 28.03.2017 के सन्दर्भ में।
- 4.सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5.सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम / द्वितीय, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर
- 6.सम्बन्धित संस्था प्रधान ..... को उपर्युक्तानुसार एवं समय-समय राज्य सरकार द्वारा जारी  
आदेश-निर्देश की अक्षरशः पालना हेतु।
- 7.रांवधित अभ्यर्थी द्वारा र्पीड पोर्ट
- 8.रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

# कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

## कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/व3/री0भ0/2011-12दिनांक 07.04.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-अग्रेजी के पद पर राजरथान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2(9300-34800)ग्रेड पे-4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को अंवटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-अग्रेजी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1- इनकी पात्रता एंव इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, एंव अन्य आरक्षण सम्बंधी एंव अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंग, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंग।

2-नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एंव सक्षम विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त रघरथता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

3- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-ग /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4-विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंग।

5-राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जाती है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6-आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-

(अ) अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हों। अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एंव नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि “अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(ब)अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होता यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्यता का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ावर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ावर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एंव दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. यह नियुक्ति माननीय राजरथान उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
9. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।

## वरिष्ठ अध्यापक :— अग्रेजी

क्र०सं०	मैरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापित स्थान
1	1133	BC	कृष्ण गापाल सोनी / ब्रह्मा नंद सोनी , ग्रामों नादोती तहसील नादोती जिला करौली	15.07.87	OBCM	रामाविंश गढीलज्जा, सैपउ(धौलपुर)

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 30-04-2017 होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्युत्त किये गये दस्तावेज़/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

  
 (गणेश कुमार धाकरे )  
 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
 भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक: 17-04-2017

क्रमांक: उनिमाशि/भरत/माध्य/संरथा-1/फा-नियु-वअ/2016/ 31

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
- 2— प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3— शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4— शासन उपसचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5— सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 6— आयुक्त रा.मा.शि.अ.राजस्थान सरकार जयपुर
- 7— निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 8— जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)-प्रथम, द्वितीय भरतपुर / धौलपुर / करौली / सोमाता को मूल आवेदन पत्र सहित
- 9— संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि / रामावि—
- 10— संबंधित आशार्थी (स्पीड डाक द्वारा)
- 11— रक्षित पत्रावली

  
 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
 भरतपुर संभाग भरतपुर

# कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

## कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/वअ/सी०भ०/2011-12दिनांक 07.04.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-गणित के पद पर राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2008 के अनुसार पी.वी.-2(9300-34800)ग्रेड पे-4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थीयों को वरिष्ठ अध्यापक-गणित के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.वी.-2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1- इनकी पात्रता एंव इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, एंव अन्य आरक्षण सम्बंधी एंव अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।

2-नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सांगवंधी सदाचार रिपोर्ट एंव सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

3- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-गा /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्यात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4-विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न रूप से प्राप्त करेंगे।

5-राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शैष है, अतः जिन अभ्यर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जाती है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थीयों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6-आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-

(अ) अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हों। अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एंव नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(ब)अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्यात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ावर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ावर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें

- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एंव दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. उह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
9. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।

## वरिष्ठ अध्यापक :- गणित

क्र०सं०	मैरिट क्रमांक	वर्ग	अन्यथी का नाम/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापित स्थान
1	1890	SC	महावीर सिंह /बुद्धी राम , ग्रामोड़ इकलहरा ,तह0डीग जिला भरतपुर	17.02.76	SCM	रामावि आमरे की (राहिर) सपोटरा (करौली)


इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 30-04-2017 होगी । अन्यथी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी ।

  
 (गणेश कुमार धाकरे )  
 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
 भरतपुर संभाग भरतपुर

32

दिनांक: 17-04-2017

क्रमांक: उनिमाशि/भरत/माध्य/संरथा-1/फा-नियु-वअ/2016/  
 प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
 1- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर  
 2- प्रमुख शासन सचिव,शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग,राजस्थान,जयपुर  
 3- शासन उपसचिव,शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग,राजस्थान,जयपुर  
 4- शासन उपसचिव,कार्मिक(क-2)विभाग,राजस्थान,जयपुर  
 5- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर  
 6- आयुक्त रा.मा.शि.आ.राजस्थान सरकार जयपुर  
 7- निदेशक,माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर  
 8- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)-प्रथम/द्वितीय भरतपुर /धौलपुर /करौली/स0मा0 को मूल आवेदन पत्र सहित  
 9- संबंधित संरथा प्रधान,राउमावि /रामावि—  
 10- संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)  
 11-रक्षित पत्रावली

  
 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
 भरतपुर संभाग भरतपुर